



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

संख्या-2955-अ.प्र.-04/पाकालि/2010-1-जी.ई.(छ:)/80

दिनांक: दिसम्बर 30, 2010.

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2600-अ.प्र.-04/पाकालि/2010-1-जी.ई.(छ:)/80 दिनांक 01.11.2010 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 2950-अ.प्र.-04/पाकालि/2010-1-जी.ई.(छ:)/80 दिनांक 29.12.2010 के अनुक्रम में, निवर्तन वय प्राप्त होने पर अधोनामित प्रोन्नत सहायक अभियन्ता उ.प्र.पावर कारपोरेशन लि. की सेवाओं से उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को सेवानिवृत्त होंगे :-

क्रम सं.	नवप्रोन्नत सहायक अभियन्ता का नाम (सर्वश्री)	अभिज्ञान संख्या	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5
1.	इं० रमा कान्त पाण्डेय	2006094	10.05.1951	31.05.2011
2.	इं० मुरीद हैदर रिजवी	2005225	01.06.1951	31.05.2011
3.	इं० कमल कान्त	2005177	15.10.1951	31.10.2011
4.	इं० पुरुषोत्तम दत्त तिवारी	2006089	01.01.1952	31.12.2011

उपरोक्त आदेश सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं को स्तम्भ-5 में दर्शित उनकी सेवानिवृत्ति तिथि तक सेवा में बने रहने का अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। संगत विनियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें लोकहित में उक्त तिथि के पूर्व कभी भी सेवानिवृत्त किया जा सकता है। किसी कारणवश उपरोक्त सूची में नाम सम्मिलित होने से रह जाने पर भी अधिवर्षता वय प्राप्त कर चुके सहायक अभियन्ता का यह व्यक्तिगत दायित्व है कि वह बिना किसी अग्रतर आदेश/निर्देश की प्रतीक्षा किये, नियत तिथि को सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त हो जाये। साथ ही साथ, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि सूचित की जा रही तिथि से पहले पड़ती है, तो वास्तविक व सही तिथि को सेवानिवृत्त होना स्वयं अधिकारी की विधिक जिम्मेदारी होगी।

निदेशक (का.प्र.एवं प्रशासन)

संख्या: 2955(1)अ.प्र.-04/पाकालि/2010 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।
2. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि, 4-ए गोखले मार्ग, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि, विद्युत भवन, गैलाना रोड, आगरा।
4. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि, पो० डी०एल०डब्लू०, वाराणसी।
5. मुख्य अभियन्ता (वितरण), लखनऊ/वाराणसी/कानपुर/गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश की प्रति सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को तामील कराना सुनिश्चित करें।
6. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल/नगरीय विद्युत वितरण मण्डल, सीतापुर/कानपुर/गाजियाबाद/मिर्जापुर।
7. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, सीतापुर/ विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मिर्जापुर/कानपुर/ विद्युत वितरण खण्ड, गढ़मुक्तेश्वर।
8. लेखाधिकारी (जीपीएफ)/ (पेन्शन)/ (महास्तार)/ (वेतन एवं लेखा), उ.प्र.पा.का.लि., शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ.प्र.पा.का.लि., कक्ष सं० 401, शक्ति भवन, लखनऊ को वेब साइट पर प्रदर्शन हेतु।
10. संयुक्त सचिव (अनुशासनिक कार्यवाही), उ.प्र.पावर कारपोरेशन लि., शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के विरुद्ध लम्बित विभागीय कार्यवाही/जांच इत्यादि, यदि कोई हो, को यथासमय पूर्णतः निर्णीत कराने की व्यवस्था करने का कष्ट करें, जिससे कि अधिकारियों के नैवृत्तिक लाभों की स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब न हो।
11. सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/सूचना पट/कम्प्यूटर इकाई, उ.प्र.पाकालि शक्ति भवन, लखनऊ।

नोट- सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं से अपेक्षा है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात अपने निवास स्थान का पूरा पता (नाम, अभिज्ञान संख्या, मकान नम्बर, गली, मोहल्ला, शहर, जिला, पिन कोड नम्बर आदि) पत्राचार हेतु कारपोरेशन मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से

(बी०बी०बी० श्रीवास्तव)
उप सचिव